

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला-भीलवाड़ा

अनवान


सुआमोटो रास्ता

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करेड़ा

कस्म मुकदमा प्रार्थनापत्र धारा 131, 132 एल.आरए व नियम 58, 59, 60, 66, 86 आरएलआर

प्र0सं0 28/2020 प्रा0पत्र

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10.2020	<p>सुआमोटो प्रकरण जिस पर तहसीलदार करेड़ा ने अपने पत्रांक: राजस्व/2020/1281 दिनांक 19.10.2020 द्वारा ग्राम मोटा का खेड़ा पटवार हल्का मोटा का खेड़ा तहसील करेड़ा के बिलानाम आ0नं0 259 रकबा 12.12 बीघा में से रकबा 0.10 बीघा कस्म बंजड़ भूमि में ग्राम मोटा का खेड़ा से तगडीया रोड से प्रताब वा का बाड़िया जाने का रास्ता है जो मौके पर चालू होकर रास्ते में ग्रेवल सड़क बनी हुई है। प्रचलित रास्ता है। राजस्व रेकार्ड में सड़क/रास्ता दर्ज नहीं है। माननीय संभागीय आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार " रास्ता खोलो अभियान " के तहत मौके पर प्रचलित रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है। जिसे राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने में कोई सार्वजनिक आपत्ति नहीं है। जिसके समर्थन में सम्बत् 2070 से 2073 की नकल जमाबन्दी नकल नक्शा ट्रेस, मौका रिपोर्ट पटवार हल्का मोटा का खेड़ा के, तहसीलदार करेड़ा द्वारा पत्रादि मय अभिशंषा के प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई।</p> <p>प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिससे सुआमोटो प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार की रिपोर्ट/अभिशंषा उचित प्रतीत होती है।</p> <p>अतः सुआमोटो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>अतः तहसीलदार करेड़ा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम मोटा का खेड़ा पटवार हल्का मोटा का खेड़ा तहसील करेड़ा के बिलानाम आ0नं0 259 रकबा 12.12 बीघा में से रकबा 0.10 बीघा कस्म बंजड़ भूमि में ग्राम मोटा का खेड़ा से तगडीया रोड से प्रताब वा का बाड़िया जाने का रास्ता है जो मौके पर चालू होकर रास्ते में ग्रेवल सड़क बनी हुई है को राजस्व रेकार्ड एवं राजस्व नक्शों में संलग्न नक्शे एवं परिशिष्ट-ए में वर्णितानुसार कर अमल दरामद की कार्यवाही करे। तथा पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> (महीपाल सिंह) उपखण्ड अधिकारी करेड़ा</p>	<p style="text-align: right;">m28/2020 2020/00296</p> 